रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267456
CG-DL-E-07112025-267456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947**
No. 741]	**NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

सं. 31/2025- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 827(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "वूवेन फैब्रिक (जिसमें फलैक्स अव्यव की मात्रा 50% से अधिक हो) " जिसे सामान्यतया "फलैक्स फैब्रिक" (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के नाम से जाना जाता है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 5309 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 नवंबर, 2020, जिसे सा.का.नि. 697 (अ), दिनांक 10 नवंबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/05/2025- डीजीटीआर, दिनांक 29 मार्च 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग । खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/05/2025- डीजीटीआर, दिनांक 08 अगस्त, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

i) मौजूदा शुल्कों के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है;

(ii) कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि के बावजूद, विक्रय मूल्य आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ सका क्योंकि आयातों का लैंडेड वैल्यू और भी कम हो गया। आयातित संबद्ध वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने और बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए, घरेलू उद्योग को आनुपातिक रूप से अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका गया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य दमन हुआ है;

(iii) आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं;

(iv) मौजूदा शुल्कों के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं की निरंतर डंपिंग और घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है,

और विषयगत देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/2020 - सीमा शुल्क (ए.डी.डी.), दिनांक 10 नवम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 697 (अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

एसएन	टैरिफ शीर्षक	माल का विवरण	उत्पत्ति का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	फ्लैक्स या लिनन फैब्रिक जिसमें फ्लैक्स की मात्रा 50% से अधिक हो	चीन पीआर	कोई भी	कोई भी	कोई भी	2.36	प्रति मीटर	अमेरिकी डॉलर
2	5309	फ्लैक्स या लिनन फैब्रिक जिसमें फ्लैक्स	हांगकांग के अलावा	चीन पीआर	कोई भी	कोई भी	2.36	प्रति मीटर	अमेरिकी डॉलर

		की मात्रा 50% से अधिक हो	कोई भी						
3	5309	फ्लैक्स या लिनन फैब्रिक जिसमें फ्लैक्स की मात्रा 50% से अधिक हो	हांगकांग	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1.14	प्रति मीटर	अमेरिकी डॉलर
4	5309	फ्लैक्स या लिनन फैब्रिक जिसमें फ्लैक्स की मात्रा 50% से अधिक हो	चीन पीआर के अलावा कोई भी	हांगकांग	कोई भी	कोई भी	1.14	प्रति मीटर	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा (जब तक कि इसे पहले निरस्त, अधिक्रमित या संशोधित न कर दिया जाए) और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में निर्दिष्ट है, और विनिमय दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तिथि होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190356/2/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2025

No. 31/2025 -Customs (ADD)

G.S.R. 827(E).— Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/05/2025-DGTR dated the 29th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Woven Fabric (having more than 50% Flax content)" commonly known as "Flax Fabric" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 5309 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR and Hong Kong (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/2020 -Customs (ADD), dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 697(E), dated the 10th November, 2020;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/05/2025-DGTR dated the 8th August 2025, in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

(i) The volume of imports from subject countries have increased in both absolute and relative terms, despite existing duties;

(ii) Despite increase cost of raw materials leading to increase in cost, the selling price could not increase proportionately as the landed value of imports declined further. To compete with imported subject goods and maintain market share domestic industry has been constrained from raising its price proportionately, leading to price suppression;

(iii) imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market;

(iv) There is continued dumping of subject goods and material injury to the domestic industry despite existing duties,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/2020 -Customs (ADD), dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 697(E), dated the 10th November, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6) and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7) and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S.N.	Tariff Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%	China PR	Any	Any	Any	2.36	Per meter	US$
2	5309	Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%	Any other than Hong Kong	China PR	Any	Any	2.36	Per meter	US$
3	5309	Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%	Hong Kong	Any	Any	Any	1.14	Per meter	US$
4	5309	Flax or Linen fabric having flax content of more than 50%	Any other than China	Hong Kong	Any	Any	1.14	Per meter	US$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190356/2/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2025.11.07 19:48:24 +05'30'